भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2657
दिनांक 19.12.2023/ 28 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित मामले

†2657. श्री अभिषेक बनर्जी:

श्री रवि किशन:

श्री रविन्दर कुशवाहाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों के लगभग एक करोड़ मामले दर्ज किए गए हैं और यदि हां, तो यौन उत्पीड़न और हमले से संबंधित अपराधों का प्रतिशत क्या है;
(ख)क्या सरकार के पास देश के विभिन्न राज्यों में महिलाओं के उत्पीड़न और बच्चों के प्रति अत्याचार से संबंधित मामलों का कोई तुलनात्मक आंकड़ा है;
(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसे कुल कितने मामलों की सूचना मिली है और इस संबंध में राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है;
(घ) क्या सरकार का इस संबंध में कोई विशेष नीति बनाकर ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी नीति कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किये गये अपराधों पर सांख्यिकीय डेटा को संकलित करता है व उसे अपने प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 से संबंधित है। एनसीआरबी से प्राप्त डेटा में उल्लिखित आंकड़ा नहीं दिखाया गया है।

(ख) और (ग) : वर्ष 2018-2022 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध और बच्चों के प्रति अपराध के तहत दर्ज मामलों (सीआर), आरोपपत्रित मामलों (सीसीएस) और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों (पीएआर) की संख्या का राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों के प्रति अपराध की जांच और अभियोजन समेत कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य- सरकारों की होती है। राज्य सरकारें कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं। तथापि, गृह मंत्रालय ने पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाये है, जो नीचे दिये गये हैः

i. यौन अपराधों के प्रभावकारी निवारण के लिए दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड सहित और अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने हेतु दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, बलात्कार के मामलों में 2 महिने के भीतर जांच पूरी किए जाने और आरोप पत्र दायर करने तथा विचारण को भी दो महीनों के अंदर पूरा करने का अधिदेश दिया गया है।

ii. "आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली" में सभी आपात स्थितियों के लिए पूरे भारत में, एकल, अंतर्राष्ट्रीय मान्य् नम्बर (112) पर आधारित प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें कंप्यूटर की सहायता से क्षेत्रीय संसाधनों को संकट के स्थान पर पहुंचाया जाता है।

iii. स्मार्ट पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता पहुंचाने के लिए प्रौद्यगिकी का उपयोग करते हुए, पहले चरण में 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुम्बई) में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

iv. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षमता निर्माण जैसे कि साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, जूनियर साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों के कार्मिकों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए "महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्यूसी) स्कीम" के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है।

लोक सभा अता.प्र.सं. 2657 दिनांक 19.12.2023

v. गृह मंत्रालय ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पूरे देश में जांच करने और यौन अपराधियों का पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए 20 सितम्बर, 2018 को "यौन अपराधियों संबंधी राष्ट्रीय डाटाबेस" (एनडीएसओ) शुरू किया है।

vi. गृह मंत्रालय ने दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार यौन हमले से संबंधित मामलों की समयबद्ध जांच की निगरानी करने और उसे ट्रैक करने के कार्य को सुगम बनाने के लिए 19 फरवरी, 2019 को पुलिस हेतु "यौन अपराध जांच ट्रैकिंग प्रणाली" नामक एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक टूल लॉन्च किया है।

vii. जांच में सुधार करने के लिए, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण की इकाइयों को सशक्त बनाने हेतु कदम उठाए हैं। इसमें केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में डीएनए विश्लेषण की एक अत्याधुनिक इकाई स्थापित करना शामिल है। गृह मंत्रालय ने कमी के विश्लेषण और मांग के मूल्यांकन के बाद राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों की स्थापना और उन्नयन को भी मंजूरी प्रदान की है।

viii. गृह मंत्रालय ने यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण और यौन हमले संबंधी साक्ष्य संग्रहण किट की मानक संरचना के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। जनशक्ति में पर्याप्त क्षमता के सृजन की सुविधा प्रदान करने के लिए, जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों तथा चिकित्सा अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने प्रशिक्षण के भाग के तौर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ओरिएंटेशन किट के रूप में यौन हमला साक्ष्य संग्रहण की 18,020 किटें वितरित की हैं।

ix. गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्कों और देश के सभी जिलों में मानव तस्करी-रोधी यूनिटों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए दो परियोजनाएं भी मंजूर की हैं।

x. उपर्युक्त उपायों के अलावा, गृह मंत्रालय ने महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने हेतु समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं, जो www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लापता तथा पाए गए अथवा बरामद किए गए बच्चों के मामलों से निपटने में पुलिस**,** बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्ड की सहायता करने के लिए "लापता बच्चों के मामलों के संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)"जारी की है। इस एसओपी का उद्देश्य,लापता बच्चों के मामलों से निपटने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना और संबंधित स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय करके कार्य करना और लापता बच्चों के मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई करना है।

लापता बच्चों और जरूरतमंद बच्चों को संपर्क सेवाएं (आउटरीच सर्विस) प्रदान करने के उद्देश्य से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक चाइल्ड हेल्पलाइन नं. 1098 संचालित कर रहा है, जो 24/7 आधार पर ऑपरेशनल है। इसके अतिरिक्त, किसी भी जरूरतमंद बच्चे को सहायता प्रदान करने के लिए बड़े रेलवे प्लेटफर्मों पर "रेलवे चाइल्ड-लाइन्स" भी संचालित की जा रही है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने "ट्रैक चाइल्ड पोर्टल" भी शुरू किया है, जो लापता और पाए गए बच्चों की ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। इसके तहत, पुलिस स्टेशनों, किशोर न्याय बोर्डों और बाल देखभाल संस्थाओं को लॉगिन प्रदान किए गए हैं**,** जिसमें उन्हें लापता और पाए गए बच्चों के बारे में जानकारी को नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट करना होता है। "ट्रैक चाइल्ड पोर्टल" का एक घटक खोया-पाया है, जहां कोई भी नागरिक अधिक समय गवाएं बिना लापता बच्चों के साथ-साथ उनकी निशानदेही की सूचना दे सकता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे देश में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक दोनो स्थलों में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना है तथा साथ ही, महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा से निपटने के लिए पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता और परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता सहित कई सेवाओं की तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सुलभता प्रदान करना है।

देशभर में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 'रेफरल सेवा' के माध्यम से तत्काल और 24 घंटे आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता उपलब्ध करने के उद्देश्य से "महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण (डब्ल्यूएचएल) स्कीम" 1 अप्रैल, 2015 से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत, सहायता और जानकारी मांगने वाली महिलाओं को शॉर्ट कोड 181 के माध्यम से 24 घंटे की टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान की जाती है। 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला हेल्पलाइन चल रही है।

****

लोक सभा अता .सं .प्र .2657 दिनांक 19.12.2023

अनुलग्नक-I

वर्ष 2018-2022 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध के तहत दर्ज मामलों (सीआर), आरोपपत्रित मामलों (सीसीएस) और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों (पीएआर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018			2019			2020			2021			2022		
		सीआर	सीसीएस	पीएआर	सीआर	सीसीएस	पीएआर	सीआर	सीसीएस	पीएआर	सीआर	सीसीएस	पीएआर	सीआर	सीसीएस	पीएआर
1	आंध्र प्रदेश	16438	15419	22583	17746	14797	21333	17089	13106	18976	17752	16084	19085	25503	24456	30846
2	अरुणाचल प्रदेश	368	221	335	317	164	301	281	227	312	366	298	370	335	268	319
3	असम	27687	16985	30094	30025	16880	44232	26352	16314	33537	29046	17545	34923	14148	12108	19789
4	बिहार	16920	11111	18143	18587	10859	20604	15359	9787	13015	17950	12376	15685	20222	16246	21320
5	छत्तीसगढ़	8587	6919	9914	7689	6362	9272	7385	6288	9380	7344	6699	9950	8693	7258	10567
6	गोवा	362	327	308	329	270	302	219	176	227	224	178	186	273	207	192
7	गुजरात	8329	7819	15068	8799	8103	17056	8028	7522	14339	7348	6868	13506	7731	6757	12188
8	हरियाणा	14326	7854	12256	14683	8263	12727	13000	7662	11480	16658	9057	13434	16743	9347	13682
9	हिमाचल प्रदेश	1633	1197	1708	1636	1245	1654	1614	1261	1547	1599	1280	1409	1551	1171	1003
10	झारखंड	7083	4760	6687	8760	5326	7473	7630	5704	7600	8110	5779	7300	7678	6598	8296
11	कर्नाटक	13514	12141	22136	13828	10855	23990	12680	10354	21662	14468	13033	26167	17813	13612	27753
12	केरल	10461	9233	12380	11462	9958	13682	10139	9497	11295	13539	13417	16110	15213	15782	16325
13	मध्य प्रदेश	28942	25315	33210	27560	22661	31650	25640	22141	28878	30673	26092	26808	32765	26512	24709
14	महाराष्ट्र	35497	25393	43375	37144	28234	43549	31954	27104	38675	39526	31885	44363	45331	33821	40934
15	मणिपुर	271	112	282	266	139	256	247	110	228	302	125	294	248	121	183
16	मेघालय	571	296	496	558	586	851	568	377	524	685	542	682	690	525	410
17	मिजोरम	249	270	306	170	162	181	172	167	180	176	169	179	147	145	155
18	नागालैंड#	75	42	64	43	36	59	39	25	51	54	41	68	49	47	58
19	ओडिशा	20274	16149	14844	23183	17675	13359	25489	22729	13737	31352	25193	16246	23648	18772	9240
20	पंजाब	5302	3210	5599	5886	3743	6475	4838	3518	5940	5662	3742	6543	5572	3905	6399
21	राजस्थान	27866	15112	18130	41550	21818	26905	34535	18311	23296	40738	22532	28698	45058	24578	29938
22	सिक्किम	172	147	188	125	110	133	140	106	145	130	118	137	179	138	161
23	तमिलनाडु	5822	4646	8671	5934	4350	8667	6630	4838	9183	8501	5642	12653	9207	7882	14040
24	तेलंगाना	16027	12916	13568	18394	16057	15303	17791	17124	15007	20865	19437	13905	22066	20963	16139
25	त्रिपुरा	907	708	827	1070	864	818	874	794	689	807	813	576	752	680	537
26	उत्तर प्रदेश	59445	40045	80137	59853	44182	83582	49385	41109	79875	56083	42727	93392	65743	50616	101754
27	उत्तराखंड	2817	1847	2176	2541	1758	2115	2846	2037	2090	3431	2548	2627	4337	2995	2688
28	पश्चिम बंगाल	30394	29092	21867	29859	27825	22973	36439	31354	20284	35884	34565	23510	34738	33729	23705
	कुल (राज्य)	**360339**	**269286**	**395352**	**387997**	**283282**	**429502**	**357363**	**279742**	**382152**	**409273**	**318785**	**428806**	**426433**	**339239**	**433330**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	147	163	166	135	120	136	143	149	141	169	167	182	178	168	167
30	चंडीगढ़	442	247	386	515	221	411	301	197	257	343	177	236	325	202	314
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव +	54	53	79	82	77	120	61	57	79	99	71	103	126	93	152
32	दिल्ली	13640	11635	14247	13395	9590	13816	10093	9028	11213	14277	9538	14238	14247	8595	15112
33	जम्मू और कश्मीर *	3437	2223	4553	3069	2168	4478	3405	2003	4548	3937	3147	7109	3716	2705	6309
34	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	9	9	9	18	12	23	15	15	17
35	लक्षद्वीप	11	7	10	38	14	36	15	8	17	9	24	26	16	13	12
36	पुदुचेरी	166	125	76	95	107	143	113	110	204	153	162	329	200	153	332
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**17897**	**14453**	**19517**	**17329**	**12297**	**19140**	**14140**	**11561**	**16468**	**19005**	**13298**	**22246**	**18823**	**11944**	**22415**
	कुल (अखिल भारत)	**378236**	**283739**	**414869**	**405326**	**295579**	**448642**	**371503**	**291303**	**398620**	**428278**	**332083**	**451052**	**445256**	**351183**	**455745**

क्राइम इन इंडिया

नोट: '+' वर्ष 2018 और 2019 के लिए पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

'*' वर्ष 2018 और 2019 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े।

'#' वर्ष 2022 के लिए नागालैंड से स्पष्टीकरण लंबित हैं।

लोक सभा अता .सं .प्र .2657 दिनांक 19.12.2023

अनुलग्नक-II

वर्ष 2018-2022 के दौरान बच्चों के प्रति अपराध के तहत दर्ज मामलों (सीआर), आरोपपत्रित मामलों (सीसीएस) और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों (पीएआर) का राज्य वार-संघ राज्य क्षेत्र/ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018			2019			2020			2021			2022		
		सीआर	सीसीएस	पीएआर	सीआर	सीसीएस	पीएआर	सीआर	सीसीएस	पीएआर	सीआर	सीसीएस	पीएआर	सीआर	सीसीएस	पीएआर
1	आंध्र प्रदेश	2672	2082	2941	2524	1690	2894	2648	2103	2924	2669	2637	3197	3308	2895	4071
2	अरुणाचल प्रदेश	166	82	112	153	74	128	113	71	106	162	110	134	143	116	163
3	असम	5447	3334	5851	6608	3710	5462	4622	2863	5973	5282	3115	7055	4084	3336	5454
4	बिहार	7340	3516	6279	9320	4722	9113	6591	3850	4759	6894	5009	5598	8122	5390	6714
5	छत्तीसगढ़	6924	4932	6553	5665	3879	4856	5056	3550	4658	6001	4169	5214	6177	4252	5190
6	गोवा	182	136	126	167	124	126	125	86	105	151	105	101	184	132	148
7	गुजरात	4929	3731	4945	4685	3426	4590	4075	3288	4403	4515	3587	4578	4964	3691	4636
8	हरियाणा	4869	2435	3309	5119	2283	3037	4338	2146	2822	5700	2418	3333	6138	2427	3381
9	हिमाचल प्रदेश	772	431	548	748	382	490	636	357	503	740	406	538	740	374	414
10	झारखंड	1479	978	1435	1674	1139	1379	1795	1171	1542	1867	1353	1588	1917	1710	1939
11	कर्नाटक	6131	3754	4632	6305	3227	3947	5471	3447	4295	7261	4673	6275	7988	4430	5925
12	केरल	4253	3436	4719	4754	3808	5611	3941	4030	5031	4536	4985	5885	5640	5856	6279
13	मध्य प्रदेश	18992	13633	16452	19028	11576	14317	17008	11601	14311	19173	11896	12199	20415	12309	12163
14	महाराष्ट्र	18892	8127	13211	19592	9277	13606	14371	8451	11466	17261	9438	12786	20762	9627	13428
15	मणिपुर	128	57	121	148	85	139	125	73	115	143	88	148	120	78	92
16	मेघालय	385	223	322	379	379	490	415	285	390	481	395	482	496	386	324
17	मिजोरम	198	221	242	125	117	140	142	127	145	122	111	123	135	131	138
18	नागालैंड#	70	37	53	59	35	48	31	26	39	51	37	66	35	36	42
19	ओडिशा	5217	2721	3014	7012	2787	3255	6330	3226	3633	7899	4073	4187	8240	3672	3134
20	पंजाब	2308	1362	2021	2625	1523	2307	2121	1579	2003	2556	1537	2183	2494	1616	2262
21	राजस्थान	5150	2969	3900	7385	4137	5411	6580	3606	4714	7653	4384	5812	9370	5118	6683
22	सिक्किम	221	137	179	163	103	124	147	103	135	149	113	134	159	106	127
23	तमिलनाडु	4155	3410	5586	4139	3026	5189	4338	3184	5341	6064	4153	7680	6580	5891	8889
24	तेलंगाना	3747	2307	3480	4212	3026	3559	4200	3268	4149	5667	4413	4481	5657	5095	5215
25	त्रिपुरा	271	237	316	311	252	312	260	217	308	236	243	283	220	185	249
26	उत्तर प्रदेश	19936	13496	22446	18943	13725	21219	15271	12105	18947	16838	12654	19492	18682	13047	20705
27	उत्तराखंड	1306	577	716	1214	783	958	1066	740	868	1245	1026	1213	1706	1158	1321
28	पश्चिम बंगाल	6286	5904	6357	6191	6033	6327	10248	6662	6680	9523	7870	7367	8950	7472	8385
	कुल (राज्य)	**132426**	**84265**	**119866**	**139248**	**85328**	**119034**	**122064**	**82215**	**110365**	**140839**	**94998**	**122132**	**153426**	**100536**	**127471**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	162	145	177	153	121	139	141	147	138	124	118	127	146	133	130
30	चंडीगढ़	288	111	166	264	98	140	209	98	109	234	78	98	224	92	128
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव +	72	41	47	96	63	83	67	56	71	104	55	73	107	69	79
32	दिल्ली	8246	2941	4311	7783	2386	3602	5362	2284	3058	7118	2304	3251	7468	2155	2999
33	जम्मू और कश्मीर *	473	236	342	470	223	328	606	313	466	845	457	622	920	456	673
34	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	2	0	0	1	2	2	8	6	8
35	लक्षद्वीप	8	7	8	26	11	28	9	6	11	17	19	32	11	14	11
36	पुदुचेरी	89	78	51	50	51	76	71	66	162	122	107	191	139	96	167
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**9338**	**3559**	**5102**	**8842**	**2953**	**4396**	**6467**	**2970**	**4015**	**8565**	**3140**	**4396**	**9023**	**3021**	**4195**
	कुल (अखिल भारत)	**141764**	**87824**	**124968**	**148090**	**88281**	**123430**	**128531**	**85185**	**114380**	**149404**	**98138**	**126528**	**162449**	**103557**	**131666**

क्राइम इन इंडिया

नोट: '+' वर्ष 2018 और 2019 के लिए पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

'*' वर्ष 2018 और 2019 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े।

'#' वर्ष 2022 के लिए नागालैंड से स्पष्टीकरण लंबित हैं।